

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@gov.in, website-www. https://fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 604/संचा.-वि.स./2026

नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2026

प्रति,

1 समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़


2 रजिस्ट्रार  
छ.ग.राज्य उपभोक्ता विवाद  
प्रतितोषण, आयोग, रायपुर

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2374 अतारांकित द्वारा श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2374 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 28.02.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से (तारांकित प्रश्नों का अतिरिक्त जानकारी के साथ) भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार





सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर  
नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2026

पृ.क्रमांक 605/संचा.-वि.स./2026

प्रतिलिपि :-

 खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 09/03/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 16/03/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : उपभोक्ता संरक्षण के उल्लंघन के लंबित प्रकरण

( अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 2374 ) श्रीराघवेन्द्र कुमार सिंह

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण उल्लंघन के कितने प्रकरण लंबित हैं? जिलावार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रदेश के किन-किन जिलों में जिला उपभोक्ता आयोग का गठन नहीं हुआ है? उसके क्या कारण हैं? कब तब गठन पूर्ण कर लिया जावेगा?

Sent From : vidhan | Sent Date : 25/02/2026 10:40:15 |

Remark :

सह. आयोग ✓